

## मानहानि

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- ❖ **दुरुपयोग की रोकथाम:** दांडिक मानहानि का प्रायः उपयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध के लिये किया जाता है।
- ❖ **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा:** यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है, जिससे 'चिलिंग इफेक्ट' (भय का माहौल) उत्पन्न होता है।
- ❖ **सिविल उपायों की पर्याप्तता:** प्रतिष्ठा की रक्षा सिविल वादों (Civil Suits) के माध्यम से की जा सकती है; इसके लिये आपराधिक दंड की आवश्यकता नहीं (उदाहरण: अमेरिका में मानहानि को केवल सिविल मामला माना जाता है)।
- ❖ **न्यायिक दक्षता:** दांडिक मामले अदालतों का बोझ बढ़ाते हैं; इसके विपरीत सिविल उपाय अधिक कुशल और कम बोझिल होते हैं।

### मानहानि

- किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध **बोलना, लिखना, प्रकाशित करना या संकेत करना**। इसमें व्यक्ति, कंपनियाँ, संगठन, यहाँ तक कि मृत व्यक्ति (यदि इससे उनके परिवार पर असर पड़ता हो) भी शामिल हो सकते हैं।
- प्रकार:
  - ❖ **लाइबल (Libel):** स्थायी रूप में मानहानि, जैसे- लिखित या प्रकाशित रूप में।
  - ❖ **स्लैंडर (Slander):** अस्थायी रूप में मानहानि, जैसे- मौखिक शब्दों या अस्थायी अभिव्यक्ति द्वारा।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 499 और 500** मानहानि को परिभाषित करती हैं तथा इसके लिये दंड का प्रावधान करती हैं।
  - ❖ मानहानि आपराधिक (Criminal) अथवा नागरिक (Civil), दोनों हो सकती है, दांडिक मामलों में मज़बूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
- **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, 2016:** वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि प्रतिष्ठा की रक्षा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
- दांडिक मानहानि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक **'उचित प्रतिबंध'** माना।

### मानहानि कानूनों को सुदृढ़ करने के उपाय

- ❖ **निजी मानहानि का अपराधीकरण समाप्त करना:** दांडिक दायित्व को केवल जनहित से जुड़े मामलों तक सीमित करना, जबकि निजी विवादों को सिविल कानून के अंतर्गत लाना।
- ❖ **सिविल उपचार को सुदृढ़ करना:** फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना, स्पष्ट मुआवज़ा मानदंड तय करना और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को प्रोत्साहित करना।
- ❖ **स्पष्ट मानक:** वर्ष 2016 के निर्णय की पुनःसमीक्षा कर यह स्पष्ट करना कि कौन-सी आलोचना न्यायोचित है और कौन-सी दुर्भावनापूर्ण मानहानि।
- ❖ **प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा:** पत्रकारों, व्हिसलब्लोअर्स और शोधकर्ताओं को जनहित में संरक्षण प्रदान करना।
- ❖ **SLAPP वादों की रोकथाम:** जनता की भागीदारी के विरुद्ध दायर रणनीतिक मुकदमों (SLAPP) को रोकने के लिये विशेष कानून बनाना।
- ❖ **जागरूकता और मीडिया साक्षरता:** नागरिकों को ज़िम्मेदारीपूर्ण अभिव्यक्ति और उपलब्ध कानूनी उपायों के संबंध में शिक्षित करना।

## प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, 2025

रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2030 तक देशों की जीवाश्म ईंधन उत्पादन योजनाएँ वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिये आवश्यक स्तर से 120% और 2°C तक सीमित रखने हेतु आवश्यक स्तर से 77% अधिक हैं। यह अंतर वर्ष 2023 के बाद और बढ़ा है।

## रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- कोयले की बढ़ती मांग: वर्ष 2030 तक इसमें 500% की वृद्धि का अनुमान है।
- भारत का कोयला गैसीकरण मिशन (2020): वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखता है।



- यह रिपोर्ट SEI, क्लाइमेट एनालिटिक्स, IISD द्वारा प्रकाशित और संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा समर्थित है।
- इसमें नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और तापमान वृद्धि को 1.5°C या 2°C तक सीमित करने के लिये आवश्यक स्तरों के बीच का अंतर दर्शाया गया है।

- मुख्य योगदानकर्ता: वर्ष 2022 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन आधारित उत्सर्जन में चीन, अमेरिका और रूस का योगदान आधे-से-अधिक था।
- सीमित अनुकूलन: 20 प्रमुख उत्पादकों में से 17 देशों की योजना वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन उत्पादन बढ़ाने की है; केवल 6 देश नेट-जीरो लक्ष्यों के अनुरूप।

## जीवाश्म ईंधन उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच संतुलन

### स्मरणीय सूत्र (Mnemonic): GRIDS

- G - Grid (ग्रिड अवसंरचना का आधुनिकीकरण):** ऊर्जा भंडारण एवं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के साथ ग्रिड अवसंरचना को उन्नत बनाना।
- R - Reskill (पुनःकौशल विकास):** कोयला क्षेत्र के श्रमिकों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा) को पुनः प्रशिक्षित करना; खनन क्षेत्रों का उपयोग सौर पार्क या औद्योगिक प्रयोजनों के लिये करना।
- I - Increase (ऊर्जा दक्षता में वृद्धि):** कड़े मानकों और मांग-प्रतिक्रिया कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाना (जैसे: परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना)
- D - Develop (प्राकृतिक गैस का विकास):** इसे 'ब्रिज फ्यूल' के रूप में बढ़ावा देना, 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में इसका हिस्सा 15% करना; धारणीय गैस संयंत्रों का उपयोग जो कोयले की तुलना में 50% कम CO<sub>2</sub> उत्सर्जित करते हैं।
- S - Sustainability (धारणीयता):** जीवाश्म ईंधन कटौती को नवीकरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करना; इसके लिये कार्बन मूल्य निर्धारण और सब्सिडी का उपयोग।



## भारत का चाय उद्योग

अंतर्राष्ट्रीय चाय समिति के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि भारत के पास चाय उद्योग वैश्विक महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है।

### फैक्ट सीट: चाय

- स्रोत पौधा:** कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis)
- चाय बोर्ड:** वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वर्ष 1953 के चाय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित। इसके कार्यालय कोलकाता, लंदन, दुबई और मॉस्को में स्थित हैं।

| उत्पादन हेतु सहायक स्थितियाँ  | संकट की स्थितियाँ   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>जलवायु:</b> उपोष्णकटिबंधीय फसल; उष्ण एवं आर्द्र जलवायु विकास में सहायक होती है।</li> <li><b>तापमान:</b> 20°-30°C के बीच सर्वश्रेष्ठ।</li> <li><b>वर्षा:</b> वार्षिक 150-300 सेंटीमीटर संतुलित वर्षा आवश्यक।</li> <li><b>मृदा:</b> हल्की अम्लीय, कैल्शियम रहित एवं छिद्रपूर्ण मृदा उपयुक्त।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>मौसम-जनित गिरावट</b></li> <li><b>आपूर्ति-मांग असंतुलन</b></li> <li><b>कीमतों की स्थिरता:</b> असम (भारत के कुल चाय उत्पादन का 55%) में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि लागत 9-15% बढ़ी; किंतु चाय की कीमतें केवल 4% बढ़ीं।</li> <li><b>प्रतिस्पर्धा:</b> केन्या से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना।</li> </ul> |

### भारत का चाय उद्योग:

- स्थान:** विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता; तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक (केन्या और चीन के बाद)।

- ◆ **मुख्य उत्पादक क्षेत्र:** असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल—ये 96% उत्पादन के लिये उत्तरदायी।
- ◆ **घरेलू खपत:** भारत अपनी 80% चाय स्वयं उपभोग करता है (**सर्वाधिक खपत तुर्की में होती है**)।
- ◆ **मुख्य आयातक देश:** रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन।
- ◆ **निर्यात परिदृश्य:** 96% निर्यात काली चाय का, साथ ही सामान्य, ग्रीन, हर्बल, मसाला और नींबू चाय का निर्यात भी किया जाता है।

## भारत में चाय उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करना

- ☞ **गुणवत्ता एवं मूल्यवर्द्धन पर फोकस:** GI-टैग वाली, विशेष एवं ब्रांडेड चाय को बढ़ावा देना।
- ☞ **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका को लक्ष्य बनाना।
- ☞ **घरेलू खपत को बढ़ावा:** विपणन, रेडी-टू-ड्रिंक, फ्लेवर्ड और वेलनेस टी को प्रोत्साहन देना।
- ☞ **उत्पादक-हितैषी मूल्य निर्धारण:** छोटे उत्पादकों को सीधे बाजारों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
- ☞ **अन्य देशों से सीख:** धारणीय चाय उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षित करना, जैसे कि केन्या के फार्मर फील्ड स्कूल्स।

## संलयन ऊर्जा के लिये भारत का रोडमैप

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) के शोधकर्ताओं ने भारत की संलयन (फ्यूजन) ऊर्जा के लिये एक रोडमैप प्रस्तावित किया है, जिसमें **स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक-भारत (SST-भारत)** रिएक्टर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कदम भारत की ऊर्जा रणनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगा।

- **टोकामक:** एक संलयन रिएक्टर है, जो डोनट के आकार के पात्र में प्लाज्मा को सीमित और नियंत्रित करने के लिये चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है।
  - ◆ इसकी प्रभावशीलता को इस बात से मापा जाता है कि यह प्लाज्मा को बिना विघटन के कितनी देर तक रोक सकता है।
- **Q मान (ऊर्जा लाभ कारक):** Q मान एक संलयन रिएक्टर की दक्षता को मापता है। यह उत्पादित ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा का अनुपात है। Q मान 1 से ज़्यादा (Q > 1) होने का मतलब है कि रिएक्टर अपनी खपत से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है।

## भारत का संलयन ऊर्जा हेतु रोडमैप

- ☞ **वर्तमान संलयन क्षमताएँ:** आईपीआर में भारत के SST-1 ने 650 मिली सेकेंड के लिये प्लाज्मा परिरोध प्राप्त कर लिया है (और इसे 16 मिनट तक के लिये डिज़ाइन किया गया है), हालाँकि इसे विद्युत् उत्पादन के लिये डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह एक प्रायोगिक आधार के रूप में कार्य करता है।
  - ❖ **भारत ITER परियोजना का हिस्सा है** (जो कि चुंबकीय परिरोध तकनीकों का उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संलयन का प्रयोग है)। ITER का लक्ष्य 10 का Q मान प्राप्त करना है।
- ☞ **स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक (SST)-भारत:** विद्युत् उत्पादन हेतु विकसित किया जा रहा संलयन-विखंडन (fusion-fission) हाइब्रिड रिएक्टर। इसकी प्रस्तावित क्षमता: 130 मेगावाट, Q = 5 है।
  - ❖ **भारत का लक्ष्य वर्ष 2060 तक एक पूर्ण संलयन रिएक्टर स्थापित करना है**, जिसमें Q = 20 का अनुपात और लगभग 250 मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता होगी।

### चुनौतियाँ

- **उच्च लागत:** उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बजट पर दबाव पड़ता है।
- **दीर्घकालीन विकास:** वर्ष 2060 तक का लक्ष्य वैश्विक प्रयासों (विशेषकर चीन और अमेरिका) की तुलना में धीमा है।
- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** संलयन अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है (अमेरिका और यूरोप के विपरीत), जिससे नवाचार की गति धीमी होती है।
- **तकनीकी बाधाएँ:** प्लाज्मा परिरोधन, Q मान और विकिरण-प्रतिरोधी सामग्री से जुड़ी समस्याएँ।
- **अन्य ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्पर्धा:** संलयन ऊर्जा सौर, पवन और नाभिकीय विखंडन की तरह ही एक विकल्प है तथा इससे शुद्ध-शून्य लक्ष्यों पर से ध्यान बँट सकता है।

### सुझाव

- **नीतिगत एवं वित्तीय समर्थन:** दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाए (जैसे- ISRO या परमाणु विखंडन मिशन) और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए।
- **वैश्विक सहयोग:** ITER के अतिरिक्त अमेरिका, यूके और यूरोप की संलयन प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगी संबंध स्थापित किये जाएँ।
- **वास्तविक लक्ष्य निर्धारण:** संलयन को अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र मानते हुए वैश्विक मानकों के अनुरूप लक्ष्य तय किये जाएँ और घरेलू स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए।
- **व्यापक प्रगति के लिये संलयन अनुसंधान एवं विकास का लाभ उठाना:** सुपर कंडक्टिंग सामग्री, विकिरण परिरक्षण, प्लाज्मा नियंत्रण और एआई-संचालित सिमुलेशन में क्षमताओं को बढ़ाने के लिये संलयन अनुसंधान का उपयोग करना।


## ओजू जलविद्युत परियोजना

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है, जिससे चीन सीमा के निकट भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

ॐ 2,220 मेगावाट की रन-ऑफ-रिवर जल विद्युत परियोजना।

ॐ इसका उद्देश्य सुबनसिरी बेसिन की जल विद्युत क्षमता का दोहन करना, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है; यह बेसिन में सबसे बड़ा है तथा बेसिन-व्यापी ऊर्जा नियोजन के लिये महत्वपूर्ण है।

- सुबनसिरी नदी (गोल्ड नदी) एक पाट-हिमालयी नदी है
- उद्गम – तिब्बत हिमालय में माउंट पोटोम का पश्चिमी भाग।
- यह अरुणाचल प्रदेश के मिरी हिल्स से होकर भारत में प्रवेश करती है।
- यह नदी एशिया के सबसे बड़े नदी द्वीप, असम के माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्र (दाहिने उत्तरी तट पर सबसे लंबी सहायक नदी) के साथ मिल जाती है।



## अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण की 8वीं वार्षिक ठेकेदार बैठक 2025

भारत ने गोवा स्थित CSIR-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में ISA ठेकेदारों की 8वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया।

ॐ संसाधन का धारणीय प्रबंधन: यह भारत के डीप ओशन मिशन और 'मानवता की साझा धरोहर' दृष्टिकोण के अनुरूप है।

ॐ भारत की भूमिका: भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभाता है। साथ ही भारत पहला देश है, जिसने पॉलीमेटालिक नोड्यूल (PMN) अन्वेषण क्षेत्र प्राप्त किया एवं जिसे 'पायोनियर इन्वेस्टर' के रूप में नामित किया गया।

❖ भारत ने, केंद्रीय भारतीय कटक, दक्षिण-पश्चिम भारतीय कटक और कार्ल्सबर्ग कटक में ISA के साथ दो अनुबंध किये हैं; भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल में PMS (पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स) के लिये सबसे बड़ा अन्वेषण क्षेत्र है।

ॐ ISA का मुख्यालय किंग्स्टन, जमैका में है; यह वर्ष 1982 के UNCLOS और वर्ष 1994 के कार्यान्वयन समझौते के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।

ॐ यह समुद्री तल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सभी खनिज-संसाधन गतिविधियों को नियंत्रित करता है और 170 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

## प्रगति (PRAGATI)

प्रधानमंत्री ने प्रगति (PRAGATI) – सक्रियता से शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की।

ॐ अभिनव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम मंच, जिसे वर्ष 2015 में सरकारी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जनता की शिकायतों का निवारण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

ॐ प्रभाव:

❖ वर्ष 2024 तक 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 340 से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति।

❖ जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में सुधार।

❖ EPF भुगतान, आयकर रिफंड और अन्य सार्वजनिक शिकायतों जैसी नागरिक समस्याओं का समाधान।

### PRAGATI की मुख्य विशेषताएं

- भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करता है।
- राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी चिंताओं को सुना जाए।
- परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाता है और जवाबदेही में सुधार करता है।
- फॉलो-अप और निरंतर समीक्षा के लिए निर्णयों को बनाए रखने की अंतर्निहित सुविधा।
- विभिन्न हितधारकों के बीच वास्तविक समय में सहयोग और सूचना साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- PMO के कार्यालय को कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को हल करने और परियोजना पूर्णता में तेजी लाने में सक्षम बनाता है।
- सरकारी निकायों में अंतर-निर्भरता के कारण परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं से निपटता है।
- PMO, भारत सरकार के सचिव और राज्य मुख्य सचिवों को शामिल करते हुए तीन-स्तरीय IT आधारित प्रणाली के साथ संचालित होता है।

प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (PRAGATI)